

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2690] No. 2690] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3388(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 21) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 14 दिसम्बर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा 13 और धारा 14 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख नियुक्त करती है।

[फा. सं.-1/6/2015-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2015

S. O. 3388(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2015 (21 of 2015), the Central Government hereby appoints the 14th day of December, 2015 as the date on which the provisions of section 13 and 14 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/6/2015-CL. V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.